

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(200-A)/सी.भ./वरि.कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 16-02-2023

समस्त संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय।

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(1) RSSB/अर्थना/स्कूल शिक्षा/कम्प्यू.अनु./भर्ती/पात्रता/2022/1264 दिनांक 27.12.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.12.2022 द्वारा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2022 में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अभ्यर्थियों का श्रेणीवार वरीयता क्रम से अन्तिम रूप से चयन कर स्पष्ट पात्र अभ्यर्थियों की अभिशंषा मय विस्तृत आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये है।

उक्त के क्रम में संलग्न सूची (गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र) में विवरणांकित अभ्यर्थियों का सम्भाग आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक : 18.05.2020 में वर्णित शर्तों तथा संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 17(7) शिक्षा-2/2016 जयपुर दिनांक 02.07.2020 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन काउंसलिंग दिनांक 21-02-2023 को आयोजित कर उसी दिन नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किया जावे तथा कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 14-03-2023 रखी जावे एवं जारी नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाकर प्रति संस्थापन एफ-अनुभाग की ई-मेल आई.डी. ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

साथ ही वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन पश्चात नियुक्ति एवं पदस्थापन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है -

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिव्यांग चयन वर्ग में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से आपको आवंटित अभ्यर्थी की दिव्यांगता/दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आप द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन करवाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता/दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण उपरान्त ही उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने है।
2. उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन वर्ग में चयनित तथा राज्य के निजी विश्वविद्यालय/संस्था एवं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय/संस्था से अर्जित प्रशैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाया जाकर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित प्रशैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र वैध व मान्य पाये जाने पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किया जाना है। उक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच इस कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अतः संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों के विशेष विवरण कॉलम में Only Counselling अंकित वाले अभ्यर्थियों की केवल काउंसलिंग करवाई जानी है, नियुक्ति आदेश आगामी निर्देशों तक जारी नहीं किये जावे।

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प. 7(3)कार्मिक/ क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
7. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
10. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/-रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
15. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है।
16. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावे। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।

आपके संभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थापन लिपिक को निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर-11 में काउंसलिंग तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

शेष शर्तें पूर्व दिशा-निर्देशानुसार यथावत रहेगी।

- संलग्न:- 01. सम्भाग आवंटित अभ्यर्थियों की सूची (गैर अनुसूचित क्षेत्र-238 एवं अनुसूचित क्षेत्र-08)  
02. प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 18.05.2020  
03. शासन का पत्र दिनांक 02.07.2020

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन के आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. शाला दर्पण प्रभारी संस्थापन एफ अनुभाग को शाला दर्पण पोर्टल पर मेपिंग सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थी.....

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

1

## कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन सूची

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102(200-A)सी.भ./वरि.कम्प्यू.अनु./2022

दिनांक :- 16-02-2023

| Sr. No. | SPECIAL COMMENT  | ROLL NO. | MERIT NO. | NAME                 | FNAME                   | DOB        | CATE | H_CATE | SEL_CATE | GENDER | ALLOTTED RANGE |
|---------|------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------|------------|------|--------|----------|--------|----------------|
| 1       | 2                | 3        | 4         | 5                    | 6                       | 7          | 8    | 9      | 10       | 11     | 12             |
| 1       | —                | 403957   | 46        | HANSA                | ISHWAR DAS              | 20-02-1997 | OBC  | —      | GEN      | Female | UDAIPUR        |
| 2       | Only Counselling | 400398   | 66        | JIGYASU NEMA         | DEEPAK KUMAR KATUWA     | 25-03-1987 | GEN  | —      | GEN      | Male   | UDAIPUR        |
| 3       | Only Counselling | 418417   | 83        | VISHESH KUMAR        | MANROOP RAM PRAJAPAT    | 05-02-1990 | OBC  | —      | GEN      | Male   | PALI           |
| 4       | Only Counselling | 420018   | 95        | VINIT KUMAR NANAVATI | SUBASH CHANDRA NANAVATI | 18-02-1989 | GEN  | —      | GEN      | Male   | UDAIPUR        |
| 5       | Only Counselling | 418452   | 206       | VIJAY PANCHAL        | MADHAV PANCHAL          | 11-07-1996 | GEN  | —      | GEN      | Male   | UDAIPUR        |
| 6       | —                | 400540   | 520       | MANGALESH VYAS       | ASHOK KUMAR VYAS        | 01-05-1990 | GEN  | —      | GEN      | Male   | UDAIPUR        |
| 7       | —                | 430033   | 562       | SURABHI JOSHI        | YASHWANT KUMAR JOSHI    | 05-08-1994 | GEN  | —      | GEN      | Female | UDAIPUR        |
| 8       | Only Counselling | 409503   | 638       | PRACHI JAIN          | MAHAVEER JAIN           | 30-11-1991 | GEN  | —      | GEN      | Female | UDAIPUR        |

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.,

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर